

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-92/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.)-I, वाणिज्य कर, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.)-I, वाणिज्य कर, देहरादून के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सिराज हुसैन एवं नीरज कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.10.2017 से 17.10.2017 तक श्री एन.के. सिन्हा लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक.15.10.2016 से 25.10.2016 तक श्री एन.के. सिन्हा वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: -कर निर्धारता
3. (ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत 3 वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रुलाख में)
2014-15	1232.53
2015-16	1305.24
2016-17	2126.72

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-92/2017-18

(ii)(स) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(₹ लाख में)

वर्ष	आवंटन		स्थापना व्यय		अभ्यर्पित राशि
	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	
डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता है।					

(1) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन बजट आवन्टन नहीं प्राप्त होता है। गैर स्थापना राजस्व संग्रह को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

वित्त सचिव > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

4. (V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कर निर्धारण को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.)-I, वाणिज्य कर, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: माह मार्च 2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1 कर का न्यूनारोपण ₹3.86 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(d) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अनुसूची से भिन्न वस्तु की बिक्री पर करदेयता 12.5% की दर से निर्धारित की गयी है। दिनांक 01.04.2010 से अवर्गीकृत वस्तुओं पर 1%की अतिरिक्त कर देयता होगी।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड- प्रथम, वाणिज्य कर, देहरादून की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री तरुण फैन्चाईज. राजपुर रोड, देहरादून, कर निर्धारता वर्ष 2013-14 द्वारा ₹45,36,232/- की चाकलेट की बिक्री 5% की दर से की गई जबकि उक्त बिक्रित वस्तु उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं है। अतः उसकी बिक्री पर 13.5% की दर से कर-आरोपणीय होगा। इस प्रकार चाकलेट की ₹45,36,232/- की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 8.5% (13.5-5) से ₹3,85,580/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा। साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि पारित आदेशानुसार फ्रुट जूस पर 5% की दर से कर देयता निर्धारित की गई थी। पारित आदेश में टंकण त्रुटि के कारण चाकलेट लिखा गया है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कर निर्धारता आदेश तथा व्यापारी द्वारा प्रस्तुत फार्म-IV (संशोधित) में स्पष्ट रूप से चाकलेट की बिक्री दर्शाया गया है। साथ ही कर निर्धारण अधिकारी विक्रय सूची तथा बिक्री बीजक लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-2 कर का अनारोपण ₹2.90 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के अनुसार अनुसूची- III में सम्मिलित वस्तु सभी प्रकार के स्नेहक की निर्माता तथा आयात की स्थिति में उसकी बिक्री की जाने पर 20% की कर देयता निर्धारित की गयी थी।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड - प्रथम वाणिज्य कर, देहरादून की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री देविका ट्रेड लिक्र्स टैगोर विला, देहरादून, कर-निर्धारता वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में कुल ₹14,51,915/- के लुब्रिकेन्ट का क्रय फार्म 16 के माध्यम से किया गया। पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त आयतित लुब्रिकेन्ट का उल्लेख कर निर्धारता आदेश में नहीं किया गया था एवं व्यापारी द्वारा प्रस्तुत ट्रेडिंग खाता में भी नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि उसकी बिक्री की गई तथा कर-निर्धारता अधिकारी द्वारा उसकी बिक्री पर कर आरोपित नहीं किया गया। चूँकि लुब्रिकेन्ट अनुसूची-III से सम्मिलित वस्तु है जिसकी बिक्री पर 20% कर देयता निर्धारित की गई थी अतः उक्त आयतित लुब्रिकेन्ट की बिक्री पर 20% की दर से ₹2,90,383/- का कर आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त की बिक्री फार्म-11 के विरुद्ध की गई थी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कर निर्धारण आदेश तथा पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है, कि फार्म -11 से सिर्फ इलैक्ट्रिकल्स गुड्स की बिक्री की गई थी। न कि लुब्रिकेन्ट की। साथ ही कर-निर्धारता अधिकारी द्वारा अपने उत्तर के समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-3 ब्याज की धनराशि कम वसूल किया जाना ₹0.26 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 34(4) के अनुसार युक्ति युक्त कारण के बगैर यदि स्वीकृत कर समय से जमा नहीं किया जाता है तो ऐसी धनराशि पर जमा करने के दिनांक तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड प्रथम वा.क. देहरादून की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान निम्नांकित कमिया पायी गई:-

(अ) व्यापारी सर्वश्री शिवा आफसैट प्रेस, देहरादून, कर निर्धारण वर्ष- 2010-11 के ऊपर राशि ₹17,961/- के स्वीकृत कर का आरोपण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया था जिस पर दिनांक 01.10.2010 से जमा करने की तिथि तक ब्याज भी आरोपणीय था तथा व्यापारी द्वारा राशि ₹17,961/- चालान सं 0040071600282932 दिनांक: 02.07.2016 को जमा कर दिया गया था किन्तु उक्त तिथि तक नियमानुसार ब्याज की राशि ₹15,498/- व्यापारी द्वारा जमा नहीं किया गया।

(ब) व्यापारी सर्वश्री शिवा आफसैट प्रेस, देहरादून, कर निर्धारण वर्ष-2009-10 के ऊपर राशि ₹10,578/- के स्वीकृत कर का आरोपण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया था जिस पर 01.10.2009 से जमा करने की तिथि तक ब्याज भी आरोपणीय था। व्यापारी द्वारा राशि ₹10,578/- चालान सं.- 0040071600282928 दिनांक: 02.07.2016 को जमा कर दिया गया किन्तु उक्त तिथि तक नियमानुसार ब्याज की राशि ₹10,578/- (₹10,710 जिसे मूलधन से सीमित किया गया) व्यापारी द्वारा जमा नहीं किया गया।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा यह सूचित किया गया कि उक्त ब्याज को जमा कराने हेतु कार्यवाही विभागीय स्तर की जा रही है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर सं.- 4 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹6.14 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(I)(xi) के प्रावधानों के अनुसार आई.टी.सी. गलत/झूठे दावे किये जाने पर न्यूनतम ₹5,000/- या दावाकृत आई.टी.सी. का तीन गुणा जो भी अधिक हो अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड प्रथम वाणिज्य कर देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि:-

(अ) व्यवहारी सर्वश्री शिवा आफसैट प्रेस, देहरादून कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के वाद में व्यवहारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 62,705/- की आई.टी.सी. का दावा किया गया था। किन्तु जांचोपरान्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर मुक्त किताबों के बिक्री के कारण ₹57,689/- की आई.टी.सी अस्वीकार किया गया था परन्तु इस प्रकार व्यवहारी द्वारा गलत आई.टी.सी. क्लेम किये जाने पर जिसके विरुद्ध ₹1,73,067/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो नहीं किया गया।

(ब) व्यवहारी सर्वश्री शिवा आफसैट प्रेस देहरादून कर निर्धारण वर्ष- 2009-10 के वाद में व्यवहारी द्वारा संगत वर्ष में ₹1,60,115/- की आई.टी.सी. का दावा किया गया था। जांचोपरान्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर मुक्त किताबों की बिक्री के कारण ₹1,47,305/- का आई.टी.सी. अस्वीकार किया गया था परन्तु इस प्रकार व्यवहारी द्वारा गलत आई.टी.सी. क्लेम किये जाने पर अर्थदण्ड के रूप में दावाकृत आई.टी.सी. ₹1,47,305/- का तीन गुणा अर्थात (147305x3) =₹4,41,915/- का अर्थदण्ड था जो नहीं किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के जांचोपरान्त आई.टी.सी. रिवर्स की गई तथा व्यापारी के अन्य व्यापारिक आकड़ों को मान्यता दी गई।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि व्यवहारी द्वारा आई.टी.सी का गलत दावा किया गया। कर निर्धारण के समय पत्रावली की कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समीक्षा किये जाने के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ था जिससे स्पष्ट था कि व्यवहारी की मंशा आई.टी.सी. का गलत लाभ लिये जाने की थी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-5 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹0.81 लाख।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-92/2017-18

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10 (ख) में यह प्रावधान किया गया है, कि रजिस्ट्रिकृत व्यौहारी होते हुये किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यदि मिथ्या जाहिर करेगा कि माल का ऐसा वर्ग उसके रजिस्ट्रिकृत प्रमाण पत्र के अन्तर्गत है तो धारा 10(क) के अन्तर्गत यदि माल का क्रय करने वाला कोई व्यक्ति धारा 10 के खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध का दोषी हो, तो वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीय प्रमाण पत्र यथा स्थिति उसे अनुदत्त किया था या उसे अनुदत्त करने के लिए सक्षम हो, सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा शास्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित कर सकेगा, जितनी उस कर के डेढ़ गुने से अधिक न हो जो उस माल के उसको किये गये विक्रय की बादत धारा-8 के उप धारा (2) के अधीन उस दशा में उद्ग्रहीत किया जाता यदि विक्रय उस उपधारा के अन्तर्गत आने वाला विक्रय होता।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-प्रथम वाणिज्य कर देहरादून की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री न्यूट्रिशन गैलक्सी, चकराता रोड, देहरादून, कर निर्धारण वर्ष- 2013-14 द्वारा प्रपत्र -सी का प्रयोग कर ₹4,00,065/- का स्टालियन जिम, स्पोर्ट गुडस, टिनलेश बॉलर फेली जिम आदि का क्रय किया था। चूँकि उक्त वस्तु जिम (gym) से संबंधित था जो कि व्यौहारी के व्यापार से संबंधित नहीं था। व्यौहारी द्वारा प्रपत्र 'सी' द्वारा क्रय किये माल का विवरण निम्नवत है

इनवाइस संख्या	इनवाइस दिनांक	धनराशि (₹)	वस्तु का नाम
34	06.06.2013	1,63,200/-	स्टालियन जिम
83625	03.10.2013	19,860/-	स्पोर्ट गुडस
110	05.10.2013	2,17,005/-	टिनलेस जोगर साईकिल टिनलेश बॉडी साईकिल टिन लेश क्लर फेली जिम
	योग	4,00,065/-	

अतः व्यौहारी द्वारा अनधिकृत रूप से माल क्रय किये जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत कर का डेढ़ गुणा अर्थात् ₹81,013/-(400065x1½) अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर के बताया गया कि व्यापारी द्वारा की गई खरीद व फार्म-सी जारी करने के संबंध में जाँच गोपनीय पत्रावली से की जाएगी तदुपरान्त कार्यवाही अपेक्षित होगी। जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 6 कर का न्यूनारोपण ₹5.87 लाख।

(अ) उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधि. 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(d) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अनुसूची से भिन्न वस्तु की बिक्री पर करदेयता 12.5% की दर से निर्धारित की गयी है तथा दिनांक 01.04.2010 से अवर्गीकृत वस्तुओं पर 1% की अतिरिक्त कर देयता होगी।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड- प्रथम, वाणिज्य कर देहरादून की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यौवहारी सर्वश्री हैल्थकेयर इण्डिया, राजपुर रोड देहरादून कर निर्धारण वर्ष 2010-11 द्वारा ₹5,77,793/- का सर्जिकल गुड्स तथा ग्लूकोज स्ट्रीप का क्रय/आयात किया गया जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मेडिकल इक्युपमेन्ट मानकर 4.5% की दर से कर आरोपित किया गया चूँकि ग्लूकोज स्ट्रीम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं है तथा आयुक्त कर कार्यालय देहरादून के पत्रांक -आयु.क.उत्तर./धारा-57 अनुभाग/वा.क./2012-13 दिनांक 23.07.2012 द्वारा सर्जिकल गुड्स को अवर्गीकृत वस्तु की श्रेणी में रखा गया है अतः उक्त की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 9% की दर से ₹52,001/- का अतिरिक्त कर-आरोपणीय होगा। साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि व्यापारी द्वारा मेडिकल इक्युपमेन्ट की ही खरीद बिक्री की गई है। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत आ.धो. पत्रों की प्रतियाँ एवं खरीद बिजकों से सत्यापित है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत क्रय सूची से ही स्पष्ट है, कि सर्जिकल गुड्स तथा ग्लूकोज स्ट्रीप का क्रय किया गया था। साथ ही कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने उत्तर के समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ब) व्यौवहारी सर्वश्री एन विरो इनर्जी इन्जीनियर्स, देहरादून, कर निर्धारण वर्ष 2011-12 द्वारा ₹84,42,147/- की केन्द्रीय बिक्री (बिना फार्म-सी) के धारा-9(2)के अन्तर्गत की गई थी जिसे कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा पाईप एण्ड फिटिंग तथा मशीनरी पार्ट्स की बिक्री दर्शाया गया। पत्रावली की जाँच में पाया गया कि MS Tank for, MS Pipe Stand, Ms Fabricated आदि की ₹59,50,900/- की बिक्री 4.5% की दर से की गई थी (सूची संलग्न है।)

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-92/2017-18

उक्त बिक्रित वस्तु उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं है। अतः उक्त की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 9%(13.5-4.5) से ₹5,35,581/- का अतिरिक्त कर-आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि व्यापारी द्वारा आयातित खरीद में M.S Pipe Stand इत्यादि है। जो खरीद घोषित है वो आयरन स्टील का है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा क्रय किया गया वस्तु एक प्रकार का fabricated items है न कि घोषित वस्तु है जोकि एक्ट की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्र मां क	वस्तु का नाम	इनवा इस	इनवाइस तिथि	विक्रय मूल्य	आरोपित कर (4.5%)	(आरोपणीय कर (13.5%)	अन्तरीय कर 9% (13.5-4.5)
1	MS Tank for ETP	03	09.09.2011	9,10,000/-	40,950/-	1,22,850/-	81,900/-
2	MS fabricated for ETP	04	23.09.2011	10,50,000/-	47,250/-	1,41,750/-	94,500/-
3	MS fabricated for ETP	05	23.09.2011	4,20,000/-	18,900/-	56,700/-	37,800/-
4	MS Pipe Stand	07	16.10.2011	5,20,000/-	23,400/-	70,200/-	46,800/-
5	Compressor & Motor Pump	08	24.10.2011	17,68,200/-	79,569/-	238707/-	1,59,138/-
6	Oil (Anti rust)	12	02.11.2011	18,000/-	810/-	2430/-	1620/-
7	Vest Mat Pest Maker	13	02.11.2011	1,27,500/-	5737.5/-	17,212.5/-	11,475/-
8	Biogas & predirester Cylinder	13	02.11.2011	1,35,000/-	6075/-	18225/-	12,150/-
9	Pump with Motor	10	02.11.2011	37,200/-	1674/-	5022/-	3348/-
10	Machine(Automatic oil)	16	26.02.2012	9,65,000/-	43,425/-	130275/-	86,850/-
				59,50,900/-	2,67,79 0/-	8,03,370/-	5,35,581/-

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-92/2017-18

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
233/1988-89	01	-
293/1990-91	01,02,03,05,01(a)	-
34/1996-97	01,02	-
32/2000-01	01	-
65/2004-05	01	01,02,03,04
89/2001-02	01	-
30/2006-07	01,02	-
02/2010-11	01	02,03,04
01/2011-12	-	01
30/2012-13	-	02,STAN-01,02
44/2013-14	-	01, STAN-01,02,03
28/2015-16	-	01,03,04,STAN-02
21/2016-17	-	04,05, STAN-01,02,03,04

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.)-I, वाणिज्य कर, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएं:
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती अंजलि गुसाईं	(असिस्टेंट कमिश्नर)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.)-I, वाणिज्य कर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र